संख्या–1/वे.आ.–1–350/दस–2014–42 (एम)/2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव
वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त निदेशक/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
4. निदेशक, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त अध्यक्ष, जिला पचायते, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1 लखनऊ : दिनाँक 17 अप्रैल 2014

विषय :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनाँक 01–01–2014 से बढो हुई दर पर भुगतान।

1. शासनादेश स.–वे.आ.–1–1050/दस–2013–42 (एम)/08, दिनाँक 30 अक्टूबर 2013
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन फा. संख्या–1/1/2014–ई–II (बी), दिनाँक 27 मार्च 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे.आ. –1–1050/दस–2013–42 (एम)/08, दिनाक 30 अक्टूबर 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू. जी. सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनाँक 01 जनवरी 2014 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्त के भुगतान की स्वीकृति सहष प्रदान कर दी है।

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्त की मासिक दर
01–01–2014 से	मूल वेतन का 100 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे.आ. –1–1599/–42 (एम)/97 दिनाँक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर–3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्त के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनाँक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कमचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्त आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तगत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को वेतन का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को मंहगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4. मंहगाई भत्त को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तिय नियम–9 (21) के अतंर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को

सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होनें के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ती के कारण समाप्त हो गयी हो, समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाइ भत्त की देय धनराशि को निकटतम एक रूपय में पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपय पर पूर्णांकित किया जायेगा ओर 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्त को दिनाँक 01 जनवरी 2014 से दिनाँक 31 – मार्च 2014 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनाँक 01 अप्रैल 2014 से जमा माना जायेगा ओर इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धनराशि दिनाँक 31 मार्च 2015 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी ओर इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्त की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनाँक 01 अप्रैल 2014 से (माह अप्रैल का भुगतान दिनाँक 01 मई 2014 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता ना खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन. एस. सी.) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध ना हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8. नयी पेशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्त के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। ऐरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि सम्बन्धित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन. एस. सी.) के रूप में दी जायेगी।

9. मंहगाई भत्त को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबन्धित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या सा–4–12/दस–97–500 (1)/97 दिनाँक 07–10–1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिये।

10. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवषिता की आयु प्राप्त कर दिनाँक 01 जनवरी 2014 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्त के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

11. यह आदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–2137/सी.ई.ओ.–1 दिनाँक 16 अप्रैल 2014 द्वारा सूचित भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(आनन्द मिश्र)

प्रमुख सचिव